RAJKIYA ASHRAM PADDHATI VIDYALAYA
MOHAAN ROAD, LUCKNOW- 226017

(Affiliated to Central Board of Secondary Education, Delhi)

Affiliation No– 2120003
School Code - 72037
School Email Id- 72037@cbseshiksha.in

यह विद्यालय किसी सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी से संचालित न होकर उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय है। जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की छात्राएं आवासित होकर अध्ययनरत हैं।

(नविता यादव)
प्रधानाचार्या
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय
मोहान रोड, लखनऊ।

Principal
Rajkiya Ashram Paddhati Vidyalaya
Mohaan Road, Lucknow

संख्या-114/2015/आर-110 पी आई पी/26-3-2015-246 सी एम/2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2015

विषय - प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के नियंत्राधीन संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयो को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-594/स.क. 1-2015/विकास (312)/मु.म.घो./नवो० पैटर्न/आ०प०वि०/2015-16, दि.-03-08-2015 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रदेश मे संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं:-

1- प्रदेश मे वंचित वर्ग के छात्रो को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिन 16 जनपदो में अभी तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित नही हैं, उनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम मे आगामी 05 वर्षो में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जनपद 01 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किया जायेगा। इन विद्यालयो में अवस्थापना सुविधा हेतु धनराशि की व्यवस्था अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) से चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

2- पूर्व से संचालित एव नवनिर्मित स्थापित होने वाले राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित कराया जायेगा तथा इनकी सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से करायी जायेगी।

3- आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कम से कम 05 एकड़ भूमि पर किया जायेगा। विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि समाज कल्याण विभाग को सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। नवीन आश्रम पद्धति विद्यालय केवल बालक या बालिकाओ के लिये खोले जायें इस सम्बन्ध में निर्णय मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति उपरान्त मा० विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जायेगा।

वर्तमान में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयो को नवोदय विद्यालयो की भांति कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2016-17 में कक्षा-1 में कोई प्रवेश नही दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष क्रम से एक कक्षा कम करते हुए वर्ष 2020-21 तक कक्षा 1 से 5 तक की पढाई समाप्त कर दी जायेगी। वर्ष 2016-17 से संचालित होने वाले नये आश्रम पद्धति विद्यालय में तत्काल प्रभाव से कक्षा-6 से 12 तक की पढ़ाई प्रारंभ की जायेगी।

4- कक्षा 6 में छात्रो का नामांकन नवोदय विद्यालयो की भांति प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। प्रवेश परीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से सम्पन्न कराई जायेगी। मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु चयनित छात्रो की सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतः एक साथ दिसंबर माह में सम्पन्न कराई जायेगी तथा इसका कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों मे 85

Principal
Rajkiya Ashram Paddhati Vidyalaya
Mohaan Road, Lucknow

प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र से तथा 15 प्रतिशत छात्र शहरी क्षेत्र से चयनित किए जायगें। संस्थाओं में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चों को पूर्व की भांति प्रवेश दिया जायेगा।

कक्षा–6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35–35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या–490 होगी।

5— आश्रम पद्धति विद्यालयों के विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य हेतु टाइप–iv का एक तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ हेतु ट्रांजिट हॉस्टल (02 रूम सेट) तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु 01 रूम सेट का हॉस्टल निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय तथा कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

कक्षा–9 से 12 तक "स्मार्ट क्लासेज" संचालित करने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में इंटरनेट तथा कम्प्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6— नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के नक्शे को नये सिरे से डिजाईन कराया जायेगा और प्राक्कलन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0)/व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0) द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। सभी विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था भी डिजाईन में सम्मिलित की जायेगी। इसके अतिरिक्त छात्रावास एवं विद्यालय की साज–सज्जा/फर्नीचर आदि पर होने वाला व्यय भी निर्माण लागत में सम्मिलित होगा। प्रत्येक आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चों हेतु इनडोर एवं आउटडोर स्पोर्टस की सुविधा भी होगी।

7—प्रधानाचार्य विद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी होगा। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में शिक्षा विभाग की भांति सम्बन्धित विद्यालय के वरिष्ठतम् प्रवक्ता द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व वहन किया जायेगा।

8— सभी पदों पर चयन हेतु आयु–सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होगी।

9— राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, अतएव इनमे शिक्षण कार्य की अवधि प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगी और बीच में आवश्यकतानुसार 01 घंटे का भोजनावकाश होगा। 01 घंटे का बाह्य क्रीड़ा अवधि होगी, जिसका समय प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बालिका विद्यालयों मे महिला स्टाफ की तैनाती की जायेगी।

10— विद्यालय के नियमित स्टाफ के पाल्य को उस संस्था मे दिवसीय छात्र के रूप में अध्ययन् की सुविधा अनुमन्य होगी। इसी प्रकार विद्यालयों में हॉस्टल के 03 हाउस मास्टर तथा 03 सह हाउस मास्टर प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षको से नामित किया जायेगा। हाउस मास्टर प्रवक्ता संवर्ग से तथा सह हाउस मास्टर सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड संवर्ग से होगा। इन्हें कमशः 800/– तथा 400/– प्रतिमाह भत्ता नवोदय विद्यालयों की भांति दिया जायेगा।

11— राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों हेतु विशिष्ट ड्रेस कोड निर्धारित किया जायेगा तथा नवोदय विद्यालय की भांति छात्रों को दो सेट सलेटी कलर की पैन्ट लाल नीला सफेद चेकदार सर्ट तथा एक जोडी काले जूते व मोजे व एक सेट सफेद पैन्ट–शर्ट तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। छात्राओं को दो सेट लाल नीला सफेद चेकदार शर्ट/कुर्ता तथा सलेटी कलर की स्कर्ट (टूनिक)/सलवार व सफेद दुपट्टा तथा एक जोड़ी काले जूते–मोजे व एक सेट सफेद शर्ट स्कर्ट (टूनिक)/सलवार कुर्ता व दुपट्टा तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। शीतकाल मे मैरून कलर का ब्लेजर/फुल स्वेटर तथा एक हाफ स्वेटर कक्षा 6, 9 व 11 मे दिया जायेगा। इसी प्रकार छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 6, 9 व 11 में एक ट्रैक सूट भी दिया जायेगा। प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक हाउस की टी–शर्ट भी प्रदान की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्राओ का परिधान अनिवार्य रूप से सलवार–कुर्ता एंव दुपट्टा होगा।

12– नवोदय विद्यालय की भांति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों को देय सुविधायें एवं सामग्री की व्यवस्था निम्नवत् होगी -

(क)–प्रवेश के समय देय सुविधाएँ :

1.	गद्दा	01
2.	कम्बल	01
3.	चादर	02
4.	तकिया	01
5.	तकिया कवर	02

(ख)–प्रतिवर्ष देय सुविधाएँ

1.	चेकदार शर्ट	02
2.	पैन्ट कार्बन ब्लू	02
3.	सफेद शर्ट	01
4.	सफेद पैन्ट	01
5.	हाउस टी–शर्ट	01
6.	हवाई चप्पल	01 जोड़ी
7.	जूते काला(मोजे सहित)	01 जोड़ी
8.	जूते सफेद(मोजे सहित)	01 जोड़ी
9.	तौलिया	01

(ग)– दैनिक उपयोग की वस्तुएँ प्रति माह

1.	टूथपेस्ट 50 ग्राम	01
2.	टूथब्रस तीन माह में	01
3.	नहाने का साबुन 75 ग्राम	01
4.	डाबर ऑवला तेल 50 ग्राम	01
5.	रिन साबुन 250 ग्राम	01
6.	जूता पालिस वर्ष में	01

(घ) कक्षा–6, 9 एवं 11 को देय सुविधाएँ

1.	स्वैटर फुल	01
2.	ट्रैक सूट	01
3.	ब्लैजर कोट	01

छात्राओं की Natural Essence के दृष्टिगत उन्हें आवश्यक सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

13– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों मे शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय का प्रतिवर्ष पैनल इन्सपेक्शन (panel inspection) आयोजित किया जायेगा। पैनल निरीक्षण दल का नेतृत्व मण्डल मुख्यालय पर तैनात संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा करेंगे और दल में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि, जो डायट के प्रधानाचार्य से न्यून न होंगे, एक प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, एक स्थानीय शिक्षाविद् तथा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। पैनल निरीक्षण दल की रिपोर्ट मण्डलायुक्त तथा संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण दल की रिपोर्ट की समीक्षा कर कार्य बिन्दु संबंधित उपनिदेशक, समाज कल्याण मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा उस पर कृत कार्यवाही की नियमित समीक्षा मंडलीय बैठकों में की जायेगी। जनपद स्तर पर यह कार्य संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा सपादित किया जायेगा।

14– समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नवोदय विद्यालय की भांति शिक्षा का माध्यम कक्षा 6 से 8 में हिन्दी कक्षा 9 से 12 में अंग्रेजी होगा।

15– निदेशालय स्तर से आश्रम पद्धति विद्यालयों के बजट आवंटन, निर्माण प्रस्तावों, शैक्षणिक बिन्दुओं से संबंधित प्रस्तावों पर सभी कार्यवाही सपादित की जायेगी।

16– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के क्रिया कलापो में पारदर्शिता व कार्य दक्षता लाने के उद्देश्य से एक वेबसाईट का निर्माण कराया जायेगा, जहां पर इन विद्यालयों से संबंधित समस्त सूचना उपलब्ध

रहेगी। [illegible] से प्रजाति की स्वीकृति तथा भुगतान आदि भी [illegible] इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से पी०एफ०एम०एस० से [illegible] करते हुए करने की व्यवस्था की जायेगी।

17– आश्रम पद्धति विद्यालयों के सुचारु रूप से संचालन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर समिति निम्नवत होगी –

क्र०सं०	पदनाम	समिति में स्थिति
1	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य सचिव
3	प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
6	महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ०प्र० लखनऊ	सदस्य
7	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
8	निदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
9	निदेशक, राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश	सदस्य
10	क्षेत्रीय उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ	सदस्य
11	शिक्षा विशेषज्ञ– दो	सदस्य
12	निदेशक समाज कल्याण / जनजाति विकास	सदस्य

उक्त समिति की बैठक वर्ष में कम–से–कम 02 बार आहूत की जानी आवश्यक होगी। उक्त समिति आश्रम पद्धति विद्यालयों के संबंध में नीतिगत विषयों पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी, जिस पर आवश्यकतानुसार मा० समाज कल्याण मंत्री / मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

18– नवोदय विद्यालय की भाँति आश्रम पद्धति विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अथवा तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। समिति निम्नवत् होगी–

क्र०सं०	पदनाम	समिति में स्थिति
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4	मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण	सदस्य
5	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला व एक पुरुष अभिभावक	सदस्य
9	विद्यालय का वरिष्ठतम् शिक्षक	सदस्य
10	सम्बन्धित आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध समिति प्रत्येक आश्रम पद्धति विद्यालय के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देगी तथा लघु निर्माण कार्यों की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत होगी। यह समिति प्रस्तावित वृहद निर्माण कार्यों की संस्तुति अपर निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करेगी। शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुझावों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु भी यह समिति सक्षम होगी। जनपद स्थित आश्रम पद्धति विद्यालयों के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु प्रधानाचार्य सक्षम होंगे, लेकिन शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति को होगा।

[illegible]— आकस्मिक [illegible] के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों को भोजन व्यय तथा अन्य सामग्री [illegible] अनुमन्य होगी—

क— भोजन व्यय [illegible] प्रतिमाह, प्रति छात्र।

ख— दो सेट [illegible] आदि — रू० 1300/— प्रतिवर्ष।

ग— एक [illegible] एक [illegible] स्वेटर एक [illegible] दो [illegible] — रू० 1300/— प्रति तीन वर्ष में।

घ— पाठ्य पुस्तकें / स्टेशनरी—

- कक्षा 1 से 8 तक — रू० 765/—
- कक्षा 9 से 10 तक — रू० 1500/—
- कक्षा 11 से 12 तक — रू० 3000/—

5,265

नोट— कक्षा—1 से 5 तक की कक्षायें समाप्त होने तक इन कक्षाओं के छात्रों को भी उक्त समस्त सुविधायें अनुमन्य होंगी।

ङ— दैनिक उपयोग की वस्तुएं खाद्यान्न एव अन्य खाद्य [illegible] कल्याण निगम अथवा [illegible] के माध्यम से किया जायेगा।

20— उपरोक्त बिन्दु क, ख, ग, घ एवं ङ के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय समाज कल्याण विभाग के अधीन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय (विकास विद्यालय [illegible] इलाहाबाद, [illegible] आश्रम हाईस्कूल [illegible], लखनऊ आश्रम [illegible] विद्यालय [illegible]) तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों पर भी लागू होगा।

21— महंगाई वृद्धि दर के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार खाद्यान्न एवं अखाद्य सामग्री की दरों में संशोधन का अधिकार वित्त विभाग की सहमति/सहमति तथा मा० मुख्य मंत्री के अनुमोदन से प्रशासकीय विभाग को होगा।

कृपया तदनुसार निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

[illegible]

पृष्ठांकन संख्या [illegible] / 26—3—2003 तददिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3— समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उ०प्र०।
4— प्रबन्ध निदेशक, [illegible] निगम, उ०प्र० लखनऊ।
5— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ०प्र०।
6— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
7— समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण / जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।
8— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1/2
9— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—1
10— समाज कल्याण अनुभाग—1/2/[illegible] / [illegible]।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

[illegible]
(शिव प्रसाद त्रिपाठी)
अनुसचिव

Principal
Rajkiya Ashram Paddhati Vidyalaya
Mohaan Road, Lucknow